

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. \*134  
09.02.2026 को उत्तर के लिए

रेगिस्तानी पारिस्थितिकी पर ऑयल ड्रिलिंग और औद्योगिक परियोजनाओं का प्रभाव

\*134. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने बाड़मेर में रेगिस्तानी पारिस्थितिकी पर ऑयल ड्रिलिंग और औद्योगिक परियोजनाओं के प्रभाव की समीक्षा की है;
- (ख) यदि हां, तो क्षति को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
- (ग) क्या तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी इसी प्रकार की समीक्षा की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री  
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘रेगिस्तानी पारिस्थितिकी पर ऑयल ड्रिलिंग और औद्योगिक परियोजनाओं का प्रभाव’ के संबंध में दिनांक 09.02.2026 को उत्तर के लिए श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. \*134 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (ग): ईआईए अधिसूचना, 2006 यथासंशोधित की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं/ गतिविधियों के लिए नई परियोजना/गतिविधि स्थापित करने अथवा किसी मौजूदा परियोजना/गतिविधि में अधिसूचना में उल्लिखित मानदंडों से अधिक विस्तार करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) अपेक्षित होती है। ऑइल ड्रिलिंग और औद्योगिक परियोजनाओं सहित इन परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियामक प्राधिकरण द्वारा ईसी प्रदान की जाती है, जो उक्त परियोजना/गतिविधियों के पर्यावरण पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसी परियोजनाओं के लिए किए गए पर्यावरण प्रभाव आकलन के आधार पर इन परियोजनाओं/कार्यकलापों का कड़ा मूल्यांकन करती है। ईसी द्वारा सुझाए गए शमन उपाय प्रस्तावित परियोजना/गतिविधि के लिए ईसी शर्तों का भाग होते हैं।

ऑइल ड्रिलिंग परियोजनाओं के लिए, ईसी स्थल की उपयुक्तता और वायु, जल, ध्वनि, पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों पर प्रभाव का मूल्यांकन करती है। रेगिस्तान जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, ईआईए आधारभूत डेटा और प्रभावों के पूर्वानुमानों का प्रयोग करके पर्यावास, जैव विविधता, मिट्टी, जल संसाधन और समग्र पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव का मूल्यांकन करती है, अनुमानित प्रभावों के आधार पर, एक विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की जाती है, जिसमें शमन उपाय, प्रदूषण नियंत्रण, संरक्षण गतिविधियाँ, जोखिम प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी शामिल हैं। मूल्यांकन में संवेदनशील क्षेत्रों, बस्तियों, बाढ़-क्षेत्र और वन भूमि से दूर उपयुक्त स्थल चयन के साथ ही ड्रिलिंग अपशिष्ट, उत्सर्जन, खतरनाक रसायनों और सुरक्षा जोखिमों के सुरक्षित प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। मुख्य निवारक उपायों में कम विषाक्तता वाले ड्रिलिंग द्रव्यों का उपयोग, पंक्तिबद्ध और पुनः प्राप्ति अपशिष्ट गड्ढे, प्राधिकृत अपशिष्ट उपचार और निपटान, पूरे स्थल की बहाली, एससीएडीए आधारित संचालन, व्यापक स्थल पर और स्थल के बाहर आपदा प्रबंधन और आपातकालीन कार्रवाई योजनाएँ आदि शामिल हैं।

परियोजनाओं/गतिविधियों को एक बार पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने के बाद, उन्हें ईसी में निर्धारित शर्तों के संबंध में अनिवार्य रूप से परिवेश के माध्यम से छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। उपर्युक्त के अलावा, ये परियोजनाएँ सहमति तंत्र द्वारा भी नियंत्रित होती हैं, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/एसपीसीसी) के सहयोग से जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत कार्यान्वित किया जाता है। सहमति तंत्र के तहत, परियोजनाओं को स्थापना के लिए सहमति और संचालन के लिए सहमति संबंधित एसपीसीबी/एसपीसीसी द्वारा विभिन्न मानदंडों जैसे परियोजना/गतिविधि का स्थल चयन, परियोजना/ गतिविधि द्वारा अपनाए

जाने वाले पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय आदि को ध्यान में रखते प्रदान की जाती है, जिससे परियोजनाओं की धारणीयता सुनिश्चित होती है। सीटीई/सीटीओ की शर्तों के अनुपालन की संबंधित एसपीसीबी/एसपीसीसी द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। हाल ही में, मंत्रालय ने पर्यावरण लेखा परीक्षण नियम, 2025 भी अधिसूचित किए हैं, ताकि विभिन्न पर्यावरण कानूनों के तहत संचालित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनुपालन ढांचे को और सुदृढ़ किया जा सके।

ये तंत्र पूरे देश में समान रूप से लागू हैं, जिनमें बाइमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र और तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके अलावा, तटीय क्षेत्रों के लिए सीआरजेड अधिसूचना, 2011 अथवा 2019 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होते हैं।

\*\*\*\*\*